संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

भाजयुमों का सदस्यता रथयात्रा

नवापारा-राजिम। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर जिला ग्रामीण तत्वावधान में नवापारा मण्डल से रथयात्रा का शुरुआत हुआ जिसमे भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम नारंग , प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश मोहरे ,प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम साहू एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष फनेन्द्र वर्मा की अगुवाई में अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू , आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब , पुर्व अपैक्स बैंक अध्यक्ष अशोक बजाज , अशोक पांडेय , विजय गोयल ,जिला मंत्री परदेशी राम साहू ने भाजपा ध्वज दिखाकर रथ को रवाना किया ।अध्यक्ष उमेश यादव भाजयुमो अध्यक्ष नागेन्द्र वर्मा , परदेशी साहू , प्रशन्न शर्मा, बॉबी चावला, मुकुंद मेश्राम ,संजय साहू ,साधना सौरज , धीरज साहू ,टिकू सोनी ,सिंटू जैन , राजू रजक, अंकित मेघवानी, नितुल देवंगन, युवराज यादव ,रमन सोनकर ,गोयल भट्ट, सचिन सचदेव, गजेन्द्र यादव, हर्षा कंसारी, प्रभा बंसवार, कैलाश तिवारी उपस्थित थे।

लोगों को किया जा रहा मतदान के प्रति जागरूक

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी नगरपालिकाओं तथा त्रिस्तरीय पचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 संपन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली/पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया जाना है । कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे जिले के मतदाताओं मे मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले मे मतदाता जागरूकता अभियान जागव-वोटर रजाबोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।जिले मे जागव वोटर जाबो कार्यक्रम के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होता है। ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया, वोट की शक्ति, और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी जाती है ।यह पहल खासकर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ मतदान प्रतिशत कम होता है, या लोग चुनावी प्रक्रिया में कम हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार की जागरूकता से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के महत्व का बोध होता है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती में योगदान होता है।

कुण्डा में 8 से संगीतमय श्रीमद भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ

स्वदेश कुण्डा,कवर्धा -: ग्राम कुण्डा में स्थिति प्राचीन मां महामाया मंदिर मे विराजित आदिशक्ति देवी मां महामाया के पुजारी नूतन शर्मा के निवास पर 8 अक्तुबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आयोजित है। समस्त पित्तरो के भावमयी कृपा के फलस्वरूप पण्डित नूतन शर्मा के पूज्य पिता स्व.पण्डित विजय शर्मा पौराणिक के वार्षिक श्राद्ध काल मे एव स्व.सुंदर लाल शर्मा, स्व.भागा देवी शर्मा भागवत भास्कर स्व.पण्डित गोवर्धन प्रसाद शर्मा स्व.पण्डित हनुमच्छरण पाठक, व स्व.नम्रता शर्मा के पावन स्मृति मे धर्मपत्नी उर्वशी शर्मा पुत्र नूतन शर्मा एव शर्मा परिवार द्वारा जगमल चौक ब्राम्हण पारा ग्राम कुण्डा मे संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एव वार्षिक श्राद्ध का सुंदर आयोजन 8 अक्टूबर से आयोजित है कथा के परीक्षित जी महराज पण्डित नूतन शर्मा कथा व्यास श्री मलकू पीठाधीश्वर के कृपा पात्र शिष्य पण्डित अंकित शर्मा पुजारी श्री राम जानकी मंदिर झलमला परायणाचार्य पण्डित शुभम शर्मा लघान पंडरिया मंच संचालन पण्डित निलभद्र शर्मा कथा का समय दोपहर 02 बजे से हरि इच्छा तक कथा युत्युब लाइव प्रसारण होगा।

6 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए थे

शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ की मांग पर सहमति

स्वदेश संवाददाता, पंडरिया कवर्धा

शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ ने 1 अक्टूबर 2024 से अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर रायपुर में आल इंडिया फेयर प्राइस शाप डिलर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विश्म्भर बासु के उपस्थिति में एक दिवसी धरना प्रदर्शन करते हुए 2 अक्टूबर 2024 से स्थानीय स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए थे आज पांचवे दिन दोपहर 12:00 बजे खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग उपसंचालक राजीव जायसवाल जी ने मोबाइल के माध्यम से सूचना दिया आपका छैः मांग सरकार ने और विभाग ने पूरा करने सहमति दिया है और 31अक्टूबर तक बारदाना का 55 करोड़ मार्जिन राशि का लगभग 22 करोड़ और पिछला राशि जो रुका है वह मिलाकर लगभग 100 करोड रुपए के आसपास दुकानदारों के खाता में डाल दी जाएगा साथ ही शासन द्वारा प्रदाय योजना अंतर्गत ट्रांसपोर्टर स्वयं का कांटा से दुकान में चावल तौल कर देगा वहीं मशीन खराब होने पर किसी प्रकार का राशि कोटेदार से नहीं लिया जाएगा विभाग इसकी नियंत्रण रखेंगी कमीशन वृद्धि की मांग को भी सचिव स्वीकार कर फाइल में सहमति दी है और विभाग को भेज दिया है !आबंटन में अनियमितता सुधार कर लिया जाएगा नवम्बर माह से दुकानदार के खाते में सभी कमिशन माह वार भुगतान किया जायेगा कोरेना काल में दुकानदार से पटवाई गई राशि वापसी इसी माह किया जायेगा उक्त जानकारी सहायक संचालक जयसवाल शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के महासचिव विजय धृतलहरे को दिया और सभी मांग को पूरा करने पर सहमति जताई अपिल किया हड़ताल वापसी लेकर महासचिव विजय धृतलहरे ने संघ का वर्चुअल बैठक आयोजित किया जिसमें प्रदेश पदाधिकारी जिला ब्लाक पदाधिकारी एवं दुकानदार जुड़ कर खबर सुनकर खुशी की लहर चल गई छत्तीसगढ़ सरकार और संचालक महोदय को संघ ने धन्यवाद ज्ञापित किया है आभार जताया है !और यह घोषणा को दुकानदार बहुत बड़ी जीत मान कर खुश हैं प्रदेश के राशन दुकानदार एक दुसरे को बधाई का दौर चला रहे हैं इसी कड़ी में संघ के महासचिव विजय धृतलहरे ने पंडरिया जनपद के सामने धरना में बैठे थे वही प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया मुंगेली जिला अध्यक्ष लखनलाल यादव लोरमी अध्यक्ष वास्कल बंजारे दिपक चन्द्राकर संजय शर्मा कवर्धा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी साहू उपाध्यक्ष नंदकुमारी साहू निर्मला यादव संरक्षक लक्ष्मण भटट लोहारा अध्यक्ष शाहिद खान बोडला अध्यक्ष नर्मदा यादव कवर्धा अध्यक्ष रामगणेश निषाद पंडरिया संरक्षक रामकुमार बंजारे महासचिव विजय धृतलहरे को बधाई देने पहुंचे और एक दुसरे को फुल माला एवं आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।

दो दर्जन से अधिक मजदूर रायपुर के ग्राम बंजारी काम पर जा रहे थे

दो पिकअप पलटी , एक की मौत , दर्जनभर से अधिक घायल

स्वदेश संवाददाता , नवापारा राजिम

समीपस्थ ग्राम थनौद चौक के आगे तेज रफ्तार दो पिकअप वाहन पलट गई। बताया जा रहा है कि ग्राम खोला से दो दर्जन से अधिक मजदूर पिकअप वाहन में सवार होकर नवा रायपुर के ग्राम बंजारी काम पर जा रहे थे। पिकअप वाहन चालक काफी तेज रफ्तार चला रहा था। इस दौरान ग्राम थनौद चौक के आगे चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे पलट गया। पिकअप के पीछे चल रहे एक और पिकअप वाहन पलट गया ।

बताया गया है कि मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है। दो पिकअप वाहन एक के बाद एक पलटी ।इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं दर्जनभर से अधिक मजदूर घायल हुए हैं।घटना की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।12 से अधिक घायल, इलाज के दौरान एक की मौत हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।सूचना मिलते ही अभनपुर,गोबरा नवापारा की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस 108 के माध्यम से घायलों को अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल को पास के रावतपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम पोंड निवासी तोमलाल पिता अश्वनी साहू के रूप में की गई है।घटना के बाद दोनों वाहन चालक फरार बताए जा रहे हैं।फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घायल में नरेंद्र कुमार बघेल पिता पुनीत राम बघेल (42 वर्ष), श्रीमती चंद्रवती पति संतोष तारक (50) घायल में नरेंद्र कुमार बघेल पिता पुनीत राम बघेल (42 वर्ष), श्रीमती चंद्रवती पति संतोष तारक (50 वर्ष), श्रीमती जमुना सोनवानी पति मोतीलाल (40 वर्ष), श्रीमती तुलसी बाई पति कपिल (35 वर्ष), श्रीमती रेखा पति मुकेश ढीढी (25 वर्ष), श्रीमती चित्ररेखा पति राकेश कुमार ढीढी (26 वर्ष), श्रीमती सविता टंडन पति नंद कुमार टंडन (40 वर्ष), प्रियांशु बघेल पिता नरेंद्र बघेल (18 वर्ष), सोनार कौशिक पिता खुबचंद (50 वर्ष), हितेश कुर्रे पिता शंकर लाल कुर्रे (32 वर्ष), रुक्मणी तारक पति मुक्ती तारक (47 वर्ष) रुक्मिणी बाई पति चेतराम सोनवानी (36 वर्ष), पूर्णिमा बघेल पति नरेंद्र बघेल (36 वर्ष) सभी ग्राम खोला निवासी और मनोज पाल पिता गौरव पाल (36 वर्ष) ग्राम पोंड के रहने वाला है।

बता दें कि नवा रायपुर क्षेत्र में अनेक जगहों पर रोजगार के लिए आसपास गांव के बड़ी संख्या में मजदूर पिकअप एवं अन्य वाहनों में सवार होकर आना-जाना करते है। इन वाहनों में मजदूरों की सवारी पर बैन होने के बावजूद वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक मजदूरों को बैठाया जाता है और सवारी के रूप में ढोया जाता है। वाहन चालक भी तेज गति से वाहन चलाते है। जिससे इस तरह के हादसे सामने आते है।

सुरगी में मां भानेश्वरी के दर्शन के पश्चात देवी भागवत सुनने पहुंचे सांसद पाण्डे

स्वदेश संवाददाता , राजनांदगांव

राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सुरगी में स्थापित मां भानेश्वरी शक्तिपीठ की महिमा अपरंपार है। स्थानीय सांसद संतोष पाण्डे आज राजनांदगांव ब्लाक के सुरगी क्षेत्र के दौरे में थे और इस बीच उन्होने सुरगी में मां भानेश्वरी के दर्शन किये और यहां चल रही देवी भागवत भी सुनी।

ज्ञात हो कि नवरात्रि के अवसर पर मां भानेश्वरी शक्तिपीठ में भक्तों का ताता लगा रहता है ।मां भानेश्वरी की कृपा से क्षेत्र में सुख समृद्धि कायम रहती है। नवरात्रि के चतुर्थी के अवसर पर राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे कार्यकर्ताओं के साथ मां भानेश्वरी शक्तिपीठ में दर्शन के लिए पहुंचे । सांसद संतोष पांडे ने मां भानेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ अंचल के सभी नागरिकों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की और उन्होंने मां भानेश्वरी से संसदीय क्षेत्र में धन-धान्य की प्रचुरता के लिए भी प्रार्थना की।

सांसद संतोष पांडे ने ग्राम सुरगी में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और व्यास पीठ में विराजमान प्रवचनकर्ता श्री योगेश्वर महाराज जी को पुष्पमाला अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। सांसद संतोष पांडे ने श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ सुरगी के मंच पर बैठकर अपनी वाणी से भगवान की स्तुति मे वंदन भी किया इस दौरान श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ स्थल में प्रभावशाली संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। ग्राम सुरगी में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ स्थल पर सांसद संतोष पांडे के साथ रोहित चंद्राकर , लीलाधर साहू, आलोक श्रोती, गुरचरण सिन्हा, सुकृत दास साहू मनोज साहू एवं अन्य ग्राम मासी उपस्थित थे।

यशवंत सिन्हा का सेवा निवृत्त, दी गई विदाई

नवापारा राजिम । नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोबरा नवपारा में पदस्थ वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मचारी यशवंत सिन्हा का सेवा निवृत्त कार्यक्रम 04 अक्टूबर को संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा सस्म्मान विदाई दिया गया ।कार्यक्रम की शुरूवात दीप प्रज्वल कर यशवंत सिन्हा, डॉ तेजेन्द्र कुमार साहू, डॉ. अभिषेक गुजराती,डॉ आकृति,डॉ ग्लोरी,डॉ प्रज्ञा लोधी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. तेजेन्द्र कुमार साहू के द्वारा किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी श्री साहू द्वारा सेवानिवृत स्वास्थ्य कर्मचारी को साल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया ।डॉ. तेजेंद्र साहू ने वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मचारी यशवंत सिन्हा जी के द्वारा संस्था के लिए किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं दीर्घायु जीवन दी शुभकामनाएं दी गई।

कलेक्टर ने माँ बम्लेश्वरी मंदिर में भीड़ की अधिकता को देखते हुए श्रद्धालुओं एवं पदयात्रियों से की अपील

राजनांदगांव । श्रद्धा एवं आस्था के केंद्र डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए दूरदराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पदयात्री पहुंच रहे हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों से आग्रह किया है कि उपवास, पैदल चलने एवं भीड़ के कारण घबराहट और बैचेनी हो सकती है। श्रद्धालु दर्शन के लिए जल्दबाजी नहीं करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बुजुर्ग, बच्चों, माताओं एवं दिव्यांगजनों को दिक्कत हो सकती है, उनका ध्यान रखते हुए सभी अपनी बारी आने पर दर्शन करें। भीड़ की अधिकता को देखते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि भीड़ में बुजुर्ग, बच्चों, माताओं एवं दिव्यांगजनों को पहले जाने का अवसर दें और भीड़ अधिक होने के कारण व्यवस्था बनाए रखने में सभी सहयोग करें। श्रद्धालुओं एवं पदयात्रियों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं विश्राम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सहयोग करें।

पावरग्रिड
POWERGRID

सूचना

1. धारा 62 के तहत टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (d) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15 (1) (a) और विनियम 23 के तहत, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनियमों की शर्तें और शर्तें) 2019 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनियमों की शर्तें और शर्तें) 2024 के तहत: याचिका-1: पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (XVIII) के तहत संपत्तियां, याचिका-2: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भुज पीएस में विस्तार कार्यों के तहत संपत्तियां, याचिका-3: पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस -III ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत संपत्तियां, याचिका-4: खारगोन टीपीएस से संबंधित पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण से जुड़ी पावरग्रिड कार्यों के तहत संपत्तियां।
2. उपरोक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभार्थी है: (1) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, (2) मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, इंदौर, (3) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, वडोदरा, (4) विद्युत विभाग, गोवा सरकार, पणजी, (5) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मुंबई, (6) डीएनएचडीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा, (7) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर, (8) स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नई दिल्ली, (9) एनटीपीसी लिमिटेड, (10) खारगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड।

ग) टैरिफ विवरण

क) 2019–24 ब्लॉक — रुपये लाखों में

याचिका संख्या	संपत्ति का विवरण	सीओडी/ इकॉड	पूर्ण लागत 31.03.2024 तक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
				त्रुटि सुधार के आधार पर संशोधित एएफसी				
याचिका-1	संपत्ति-1	22.07.2019	5927.36	797.59	1147.30	1133.65	1079.99	1085.26
	संपत्ति-2	28.07.2019	7215.71	893.44	1301.56	1287.69	1272.37	1282.03
	संपत्ति-3	29.07.2019	4626.52	495.30	736.01	743.65	743.70	744.53
याचिका-2	संपत्ति-1	09.08.2021	202.33	-	-	56.94	101.56	108.98
	संपत्ति-2	29.09.2021	517.61	-	-	44.42	95.58	100.29
याचिका-3	संयुक्त संपत्ति	01.07.2008	4405.35	692.45	674.90	489.18	489.19	490.79
याचिका-4	संपत्ति-1	01.03.2018	1070.84	193.63	197.19	197.68	195.18	193.14
	संपत्ति-2	01.06.2019	8312.36	968.64	1,483.08	1,471.95	1,466.03	1,466.44

ख) 2024–29 ब्लॉक — रुपये लाखों में

याचिका संख्या	संपत्ति का विवरण	पूर्ण लागत 31.03.2029 तक	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
			एएफसी				
याचिका-1	संयुक्त संपत्ति	17789.52	3239.49	3197.92	3131.90	3094.36	3060.23
याचिका-2	संयुक्त संपत्ति	852.85	199.96	211.14	211.59	212.27	211.23
याचिका-3	संयुक्त संपत्ति	4405.35	474.25	490.05	488.94	498.17	508.09
याचिका-4	संयुक्त संपत्ति	8383.20	1,722.86	1,699.86	1,665.92	1,645.79	1,618.50

4. इस सूचना की एक प्रति और टैरिफ निर्धारण के लिए की गई आवेदन की प्रति आवेदक की वेबसाइट www.powergrid.in पर डाली गई है।
5. टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, तो कोई भी व्यक्ति, जिसमें लाभार्थी भी शामिल हैं, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका पता है 6th, 7th, & 8th, फ्लोर, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029 (या आयोग के कार्यालय का कोई अन्य पता), और इसकी एक प्रति आवेदक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजनी होगी।

स्थान : गुरुग्राम
तारीख : 01.10.2024

हस्ताक्षर –
जनरल मैनेजर (वाणिज्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016
कॉर्पोरेट कार्यालय: सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुरुग्राम – 122 001 (हरियाणा)
एक महारत्न पीएसयू

kotak
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400 051
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोटक इंफिनिटी, ब्लॉक 11, [illegible] मंजिल, बिल्डिंग नंबर 21, इंफिनिटी पार्क, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव, मुंबई - 400 097
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, [illegible] रायपुर [illegible]

[illegible] (www.c1india.com) पर अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा जारी किया गया है –

उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/बंधककर्ता (ओं) का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
(LAP1840429/LAP1840480/LAP1840486/LAP1840 5680 और सभी ऋण खाते के लिए समान CRN 248048440) 1) मेसर्स सिंघानिया कॉम्प्लेक्स अपने सभी भागिदारों के माध्यम से, जिसका पता है, सिंघानिया कॉम्प्लेक्स के.के. रोड, स्टेशन वार्ड रायपुर- 492009 सी.जी. उसके अलावा: कार्यालय क्रमांक-ए, बी, सी, डी प्रथम तल, सिंघानिया कॉम्प्लेक्स, रायपुर, ख. न. 88/2, 88/3, रम वर्कोन, के.के. रोड, इंदिरा गांधी वार्ड रायपुर, तहसील और जिला। रायपुर सी.जी. 492001, (उधारकर्ता), 2) श्री भूपेश कुमार सिंघानिया, पता- 9-391, के.के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009. सी.जी. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 3) भरत कुमार सिंघानिया, पता: 9-391, के.के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009. छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 4) दमयंती सिंघानिया, पता: 9-391, के.के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009, सी.जी. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 5) कल्पना सिंघानिया, पता: 9-391, के.के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009, छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 6) जयेश कुमार सिंघानिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009, सी.जी. (सह-उधारकर्ता/भागीदार), 7) हितेश सिंघानिया, पता: 9-391, के. के. रोड, रूम वर्कोन फाफाडीन चौक, रायपुर 492009, छ.ग. (सह-उधारकर्ता/भागीदार)	डिमांड नोटिस दिनांक 31-08-2023, रु. 10,19,67,712.27/- (रुपये दस करोड़ उन्नीस लाख सड़सठ हजार सात सौ बारह और सत्ताईस पैसे मात्र) दिनांक 28-08-2023 तक	[illegible]	14,79,40,200/- [illegible] बयाना राशि जमा (ईएमडी) 10% ईएम 1,47,94,020/- [illegible]	16/अक्टूबर/2024 11.00 बजे - 12.00 बजे नीलामी की तिथि/समय 25/अक्टूबर/2024 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

बोली वृद्धि राशि 10,00,000/- प्रस्ताव/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:- 24/अक्टूबर/2024, शाम 5.00 बजे तक।

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :- (1) [illegible] https://www.bankeauctions.com, [illegible] https://www.bankeauctions.com [illegible] 9948182222 [illegible] mpcg@c1india.com और support@bankeauctions.com; [illegible] AADFP8384M [illegible]

बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए बैंक के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी रविन्द्र द्विवेदी @ +919764443818, और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351 से संपर्क करें।

विशेष निर्देश: [illegible] कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (KMBL) [illegible]

स्थान : रायपुर छग दिनांक : 07/10/2024
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

RELIANCE
Asset Reconstruction
रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : 11वी मंजिल, नॉर्थ साईड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-400063.

बंधक संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी), आरएआरसी 068 ट्रस्ट, के ट्रस्टी द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक निम्नांकित एसाइनमेन्ट अनुबंध तिथि 30.03.2022 के द्वारा एक एसाइनी तथा नीचे वर्णित ऋणधारक का प्रतिभूत क्रेडिटर है।
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी आम जनता को एतद्द्वारा सूचित करते है बकाया की वसूली के लिए "ऑन-लाइन ई-नीलामी" द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी। नीचे वर्णित अन्य शर्तों के अतिरिक्त सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" तथा उपचार रहित आधार पर की जाएगी।

ऋणी / जमानतदार का नाम	बकाया राशि 19.09.2024 तक	आधिपत्य दिनांक
1. मैसर्स. कलन इंटरप्राइजेस (ऋणी) पता: जैएम शर्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, तिल्दा, पी.ओ.- नेओरा, जिला-रायपुर- 493114 2. श्री सचिन शर्मा, (मालिक और बंधककर्ता) पता: मकान नं 70, वार्ड नं 4, गुरुघासी दास वार्ड, तिल्दा, नेवरा, रायपुर- 493114	Rs. 36,14,721.40/- (रुपये छत्तीस लाख चौदह हजार सात सौ इक्कीस तथा पैसे चालीस मात्र)	29.05.2024

अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
वार्ड क्रमांक 16, शीतला माता वार्ड, प.ह. क्रमांक 18, शीटन. 2, खसरा क्रमांक 146/11 (भाग) तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में 3371 वर्ग फीट माप वाले आवासीय भूमि क्षेत्र का पूरा हिस्सा और पार्सल, जिसका स्वामित्व श्री सचिन शर्मा के पास है।	Rs. 12,00,000/- (रुपए बारह लाख मात्र)	Rs. 1,20,000/- (रुपए एक लाख बीस हजार मात्र)

नीलामी का विवरण :-
संपत्ति के निरिक्षण की तिथि : 30.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तारिख : 06.11.2024
ई–नीलामी की तिथि : 07.11.2024 को दोप. 12.00 बजे से दोप. 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनिट के विस्तार के साथ)

ई–नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें

1. संपत्तियों का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा तथा प्रस्तावित लेनदार की क्षमता में आरएआरसी के अनुमोदन के आधार पर विक्रय प्रक्रिया संपन्न होगी। संपत्तियों का विक्रय शुद्ध रूप से 'जहां हैं, जैसा है' तथा 'जैसा भी हो' के आधार पर किया जाएगा।
2. ई–नीलामी की प्रक्रिया आरएआरसी द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संपन्न होगी। वेबसाइट: https://www.Auctionbazaar.com (आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड का वेब पोर्टल) ऑनलाईन ई–नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों के साथ ऑनलाइन ई–नीलामी बोली फार्म वाले ई–नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rarcl.com एवं https://www.Auctionbazaar.com पर उपलब्ध है
3. ई–नीलामी में सहभागिता से पूर्व इच्छुक बोलीदार के पास ई-मेल आईडी धारक होना चाहिए क्योंकि ई–नीलामी एजेंसी द्वारा भागीदार की आईडी एवं पासवर्ड उनकी ई–मेल आईडी पर प्राप्त होगा।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी प्रेषण विवरण के साथ स्व–प्रमाणित केवाईसी दस्तावेजों (पैन, आधार कार्ड आदि) के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी बोली जमा करनी होगी और इसे रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी) के अधिकृत अधिकारी, 11वीं मंजिल, नॉर्थ साइड, आर टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063 और ईमेल द्वारा Narendra.r.shukla@relianceada.com एवं chinmay.deshpande@relianceada.com पर जमा करना होगा। जिसके बाद भागीदारी आईडी और पासवर्ड केवल उनके ईमेल पर सूचित किया जाएगा। बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 06.11.2024 को किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोली फॉर्म या ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी के बिना बोली और आरक्षित मूल्य से नीचे की बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
5. बोलीदाता को भारतीय दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनिवार्य रूप से वचन देना होगा।
6. नेटवर्क व्यवधान के कारण बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक / विफलता के लिए न तो आरएआरसी और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक पावर बैक–अप आदि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें।
7. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करंट अकाउंट नं. 024702000003168, बैंक का नाम: इंडियन ओवरसीज बैंक, सांताक्रूज बैंक, शाखा: फोर्ट मुम्बई, हितग्राहिता का नाम: आरएआरसी 068 ट्रस्ट, IFSC Code : IOBA0000247 में RTGS/NEFT फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा करें। कृपया नोट करें कि ईएमडी के रूप में चेक / डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे।
8. आरक्षित मूल्य से कम तथा / या बिना ईएमडी राशि के बोलियां स्वीकार नहीं होंगी। बोलीदार अपनी बोलियों को रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणांकों में बढ़ा सकेंगे।
9. सफलतम बोलीदार को सफल बोलीदार की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि / विक्रय मूल्य (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि सहित) की 25% राशि जमा करना होगी। सफलतम बोलीदार को बोली राशि / विक्रय मूल्य के शेष 75% राशि सफल बोलीदार की घोषणा के 15 दिन के अंदर जमा करना होगी।
10. यदि सफल बोलीदार उक्त अंकित विक्रय मूल्य की राशि जमा करने में चूक कर जाता है तो बिना किसी अग्रिम सूचना के ईएमडी सहित समस्त जमा राशियां राजसात कर ली जाएगी। तथापि, शेष 75% राशि के भुगतान हेतु पर्याप्त समयावधि प्रदान की जाएगी एवं यह निर्णय संपूर्णतया प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार क्षेत्रांतर्गत होगा।
11. असफल बोलीदारों की ईएमडी राशि ई–नीलामी विक्रय प्रक्रिया की संपन्नता पश्चात् बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी उनके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, विश्वास एवं रेकॉर्ड्स अनुसार है। किसी भी चूक, मिथ्याकथन या भूल आदि के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।
13. अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना किसी पूर्व सूचना के बोली को स्वीकार या निरस्त करने या विक्रय को विलंबित करने / आगे बढ़ाने / निरस्त करने तथा विक्रय की शर्तों एवं नियमों में परिवर्तन करने का संपूर्ण अधिकार एवं स्वनिर्णय करने के अधिकार सुरक्षित हैं।
14. बोलीदारों को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपने स्वयं के स्त्रोतों से संपत्तियों पर भारित शुल्कों / अधिभारों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए एवं संपत्तियों की गुणवत्ता, स्वामित्व एवं भौतिक सत्यापन कर लेना चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत होने के पश्चात् संपत्तियों पर भारित शुल्कों, अधिभारों तथा अन्य कोई मामलें आदि के संबंध कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
15. संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क सहित कोई विलंबित राशि, देयताएं, कर, शुल्कों वैधानिक हो या अन्य क्रेता द्वारा वहन की जाएगी।
16. अधिक जानकारी हेतु श्री नरेंद्र शुक्ला, सहायक उपप्रबंधक– समाधान, मोबाईल नंबर–9321339065 और श्री चिन्मय देशपांडे, कानूनी अधिकारी, मोबाईल नंबर–8291763353 एवं श्री अक्षय राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–कानूनी, मोबाईल नंबर–9136763354 / रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि., से उपरोक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।
17. बिक्री प्रमाणपत्र संपूर्ण बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति और सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र सफल बोली लगाने वाले के नाम पर जारी किया जाएगा। बोली जमा करने / ई–नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाणपत्र में नाम बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस सूचना में सरफेसी अधिनियम तथा तदनुसार नियमांतर्गत ऋणीयों / जमानतदारों / बंधककर्ताओं हेतु 30 दिन की सूचना अवधि शामिल हैं।

स्थान : रायपुर
दिनांक : 07.10.2024

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते रिलायंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कं. लि.